

हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड
(एक राज्य सरकार का उपक्रम)
नियम

अनुमेय:- अनुच्छेद 73(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड संस्था के अंतर्नियमों को समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निगम के निदेशक मंडल द्वारा निगम की सेवा के लिए नियुक्त व्यक्तियों के लिए भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं:-

भाग-I सामान्य		
छोटा शीर्षक	1.	इन नियमों को हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड सेवा नियम, 1998 कहा जाता है। ये नियम 30.12.1998 से प्रभावी होंगे। ये नियम इन पर भी लागू होंगे:- (a) निगम के हर पूर्णकालिक अधिकारी या कर्मचारी को पहले से ही या अन्यथा की गई विशिष्ट प्रतिबद्धता की सीमा तक संशोधन के अधीन। (b) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी अस्थायी रूप से कार्यरत है और प्रत्येक सलाहकार या एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति को विशेष अनुबंध पर भर्ती किया गया है जो ऐसे अनुबंध की शर्तों के अधीन है। बशर्ते कि समय-समय पर लागू कानून के तहत बनाए गए संबंधित नियमों के अनुसार औद्योगिक/कारखाने के श्रमिकों की सेवा दी जाएगी।
परिभाषा	2.	इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:- (a) "बोर्ड" का अर्थ हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल से है। (b) "अध्यक्ष" का अर्थ बोर्ड के अध्यक्ष से है। (c) "प्रबंध निदेशक" का अर्थ सरकार द्वारा निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त अधिकारी है और इसमें एक निदेशक या अधिकारी शामिल है जो प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति के दौरान प्रबंध निदेशक की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत है। (d) "निगम" का अर्थ हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड है, जिसका प्रतिनिधित्व निदेशक मंडल या निगम के विधिवत अधिकृत अधिकारी करते हैं। (e) "इयूटी" का अर्थ है सेवा की वह अवधि जो वेतन, छुट्टी और अन्य परिलब्धियों के लिए गिनी जाती है और इसमें परीक्षा अवधि ,कार्यभार

	ग्रहण करने का समय और छुट्टी शामिल है , लेकिन निलंबन की कोई अवधि या वेतन के बिना असाधारण छुट्टी शामिल नहीं है। (f) "कर्मचारी "का अर्थ है एक व्यक्ति (चाहे कोई अधिकारी या कोई अन्य कर्मचारी) निगम के तहत किसी भी पद पर कार्यरत हो लेकिन इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई के उद्देश्य को छोड़कर अनुबंध कर्मचारी , आकस्मिक कर्मचारी या दैनिक वेतन भोगी शामिल नहीं है। (g) "सरकार" का तात्पर्य प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार से है। (h) "मानदेय" का अर्थ है निगम की निधि से किसी व्यक्ति को कभी -कभी या आंतरायिक प्रकृति के विशेष कार्य के पारिश्रमिक के रूप में दिए गए गैर - आवर्ती भुगतान की आवर्ती। (i) "नियम" अर्थ है हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम कर्मचारी सेवा नियमावली, 1998, जो कि तत्समय प्रवृत्त है। (j) "स्थायी कर्मचारी" का अर्थ स्थायी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कर्मचारी है। (k) "प्रोबेशनर" का अर्थ निगम के संवर्ग में मूल रिक्ति में या उसके विरुद्ध परीक्षा पर नियुक्त कर्मचारी है। (l) "अस्थायी कर्मचारी" का अर्थ है एक अस्थायी या स्थानापन्न क्षमता में अस्थायी पद पर नियुक्त एक कर्मचारी जो सीमित समय के लिए स्वीकृत वेतन की एक निश्चित दर रखता है। (m) "पदों" का अर्थ बोर्ड द्वारा समय समय पर स्वीकृत/स्वीकृत किए जाने वाले पदों से है। (n) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से है। (o) "सीधी भर्ती" का अर्थ सेवा के भीतर से पदोन्नति के अलावा किसी अन्य रूप में की गई नियुक्ति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण से है। (p) "संस्था" का अर्थ है:- - हरियाणा राज्य में कानून द्वारा स्थापित कोई संस्था; या - इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्थान; (q) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" का अर्थ है - भारत में कानून द्वारा निगमित कोई भी विश्वविद्यालय ;या - कोई अन्य विश्वविद्यालय जिसे सरकार द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;तथा
--	---

		(r) "सेवा" का अर्थ हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड सेवा है।
भाग-II - सेवा में भर्ती		
पदों की संख्या और स्वरूप	3.	सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट-ए में दर्शाए गए पद शामिल हैं। बोर्ड के पास समय-समय पर सरकार के अनुमोदन के अधीन स्थायी या अस्थायी रूप से ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या अलग-अलग पदनामों और वेतनमान के साथ नए पद सृजित करने की शक्ति होगी।
सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास और चरित्र	4.	(1) किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह-: (a) भारत का नागरिक; या (b) नेपाल का नागरिक; या (c) भूटान का नागरिक; या (d) एक तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से जनवरी 1962 के पहले दिन से पहले भारत आया हो; या (e) भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केन्या, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (पूर्व में तमगनी का और ज़ांजीबा) जमीबा, मलावी, ज़ैरे और इथोपिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों में से किसी से पलायन कर गया हो, और भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो; बशर्ते कि किसी भी श्रेणी (बी), (सी), (डी) या (ई) से संबंधित व्यक्ति वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। (2) वह व्यक्ति, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा आयोजित परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है, लेकिन, उसे नियुक्ति का प्रस्ताव सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही दिया जा सकता है। (3) किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह विश्वविद्यालय, कॉलेज या स्कूल या संस्थान के प्राचार्य या शैक्षणिक अधिकारी से अंतिम बार उपस्थित होने का चरित्र प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, और दो अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से इसी तरह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है जो व्यक्ति उसके रिश्तेदार नहीं हैं और जो उसके निजी जीवन में उससे अच्छी तरह परिचित हैं और विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या संस्थान से जुड़े नहीं हो।

आयु*

5.

सभी पदों के संबंध में , सेवा में प्रवेश के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होगी; विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित आयु में छूट के अलावा।

जहां ऊपरी आयु सीमा 42 वर्ष है, आयु में बिना किसी छूट के वही 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी, जो नीचे उल्लिखित विभिन्न परिस्थितियों में एक या एक से अधिक श्रेणियों की आयु में छूट का लाभ पाने के हकदार हैं: -

क्रम सं	श्रेणियाँ जिनमें छूट स्वीकार्य है	छूट में वर्षों की संख्या
a)	अनुसूचित जाति	आयु में 5 वर्ष की छूट
b)	पिछड़ा वर्ग	आयु में 5 वर्ष की छूट
c)	विकलांग व्यक्ति जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत आते हो।	(a) आयु में 10 वर्ष की छूट (+5 वर्ष यदि पीडब्ल्यूडी आवेदक अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग , ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित हैं) समूह सी और डी के सभी पदों के लिए और समूह ए और बी पदों के लिए भी अधिकतम 55 वर्ष के अधीन, जहां भर्ती खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अन्यथा की जाती है। (b) आयु में 5 वर्ष की छूट (+5 वर्ष यदि पीडब्ल्यूडी आवेदक अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग , ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित हैं), समूह ए और बी पदों के लिए अधिकतम 52 वर्ष , जहां भर्ती खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाती है। नोट:- आयु सीमा में छूट इस तथ्य के बावजूद लागू होगी कि पद पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित है या नहीं, बशर्ते कि पद विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हो।

	d)	पुलिस कर्मियों और जेल कर्मियों (जैसे कांस्टेबल एएसआई) के ग्रुप सी पद जहां ऊपरी आयु सीमा 42 वर्ष से कम है।	केवल अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आवेदकों को आयु में 5 वर्ष की छूट। हालांकि, पुलिस या जेल विभाग, हरियाणा के नियमों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को छूट।
	e)	सैन्य सेवा में रहते हुए विकलांग सैन्य कर्मियों की पत्नियां।	आयु में 5 वर्ष की छूट
	f)	विधवा या कानूनी रूप से तलाकशुदा महिला।	आयु में 5 वर्ष की छूट
	g)	अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आयु के उद्देश्य के लिए निर्धारित तिथि से दो वर्ष से अधिक समय से अलग रहने वाली न्यायिक रूप से अलग रहने वाली महिलाएं।	आयु में 5 वर्ष की छूट
	h)	अविवाहित महिलाएं	आयु में 5 वर्ष की छूट
	i)	भूतपूर्व सैनिक* जिसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी और आपातकालीन कमीशन अधिकारी शामिल हैं।	उनकी सैन्य सेवा की सीमा तक प्रदान की गई तीन वर्ष की अवधि, बशर्ते:- (a) उसने अपनी रिहाई से पहले कम से कम छह महीने की अवधि के लिए लगातार सैन्य सेवा प्रदान की हो; तथा (b) उसे कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के अलावा अन्यथा रिहा किया गया हो।
	j)	हरियाणा सरकार के अधीन सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों सहित हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग/बोर्ड/निगम में तदर्थ/अनुबंध/वर्क-चार्ज/दैनिक	तदर्थ / अनुबंध / कार्य-प्रभारित / दैनिक वेतन के आधार पर केवल समतुल्य पद पर पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या के बराबर आयु में छूट, ब्रेक की अवधि को छोड़कर, यदि कोई हो, जिसमें कोई अन्य आयु

		वेतन के आधार पर पहले से काम कर चुके व्यक्ति या वर्तमान में काम कर रहे व्यक्ति। छूट स्वीकार्य हो , यदि कोई हो , अधिकतम आयु के अधीन 52 वर्ष और इस शर्त के अधीन कि यदि एक बार किसी व्यक्ति को हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग/बोर्ड/निगम आदि में नियमित आधार पर आयु में छूट के लाभ के साथ नियुक्त किया जाता है तो वह किसी भी बाद की नियुक्ति के लिए फिर से इसका लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा।
		नोट 1.- ग्रुप ए, बी, सी या डी के पद पर भूतपूर्व सैनिक की नियुक्ति के लिए, उसकी आयु की गणना वास्तविक न्यूनता आयु (सैन्य सेवा की वास्तविक अवधि और तीन साल के ब्रेक तक , यदि कोई भी , सैन्य और सिविल सेवा के बीच) को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। यदि परिणामी आयु उस पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक नहीं है जिसके लिए वह नियुक्ति की मांग कर रहा है तो उसे आयु सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करने वाला माना जाएगा। नोट 2.- किसी भी श्रेणी के आवेदक (भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर) की ऊपरी आयु सीमा 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी जो ऊपर वर्णित श्रेणियों में से एक या अधिक श्रेणियों की आयु में छूट का लाभ उठाने का हकदार है। नोट 3.- संबंधित विभाग/बोर्ड/निगम/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी समकक्ष पद का अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आयु में छूट का लाभ प्रदान करने से पहले, अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित नियुक्ति प्राधिकरण से एचपीएससी/एचएसएससी द्वारा सत्यापित किए जाएंगे। * राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 22/06/2021-1GSIII दिनांक 25.03.2022 को आयोजित निदेशक मंडल की दिनांक 09.05.2023 को 174वीं बैठक में अपनाया गया।
नियुक्ति प्राधिकारी	6.	सेवा में पद पर नियुक्ति प्रबंध निदेशक द्वारा , अधिकारियों के मामले में, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी।
योग्यता	7.	किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा , जब तक कि उसके पास सीधी भर्ती या स्थानांतरण के मामले में इन नियमों के परिशिष्ट बी के कॉलम 3 में निर्दिष्ट योग्यता और अनुभव न हो और सीधी भर्ती के अलावा अन्य नियुक्ति के मामले में पूर्वोक्त परिशिष्ट के कॉलम 4 में निर्दिष्ट हैं।

		बशर्ते कि सीधी भर्ती के मामले में , अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, पूर्व सैनिकों और उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या के मामले में बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर अनुभव संबंधी योग्यता में 50% की सीमा तक छूट दी जाएगी और आवश्यक अनुभव , शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार लिखित रूप में ऐसा करने के कारणों को दर्ज करने के बाद उनके लिए आरक्षित रिक्तियाँ भरने के लिए उपलब्ध नहीं हैं।। परन्तु यह कि सीधी भर्ती/पदोन्नति से भरे जाने वाले सभी पदों के लिए कम्प्यूटर में प्रवीणता अनिवार्य होगी।
अयोग्यता	8.	कोई भी व्यक्ति - (a) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसका पति या पत्नी जीवित है; या (b) जिसने, अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए , किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या अनुबंधित विवाह किया हो , सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा; बशर्ते कि बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी , यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू पर्सनल लॉ के तहत ऐसा विवाह अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं , तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दे सकता है।
भर्ती का तरीका	9.	(a) निगम के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती बोर्ड /भर्ती एजेंसी द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से की जाएगी जैसा कि परिशिष्ट बी में निर्दिष्ट है:- (i) सीधी नियुक्ति द्वारा; या (ii) सरकार या किसी अन्य निगम से प्रतिनियुक्ति द्वारा; या (iii) निगम कर्मचारियों में से पदोन्नति या चयन द्वारा; या (iv) एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण द्वारा; (b) कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी भी सार्वजनिक या निजी रोजगार से बर्खास्त कर दिया गया हो या निगम की सेवा में अन्यथा नहीं रह गया हो , को बोर्ड की स्पष्ट स्वीकृति के बिना फिर से नियोजित नहीं किया जाएगा। (c) निगम के अधीन किसी भी पद पर प्रत्येक व्यक्ति की सीधी नियुक्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी या निगम के चिकित्सा अधिकारी से फिटनेस के चिकित्सा प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत करने के अधीन होगी। बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी के पास एक समयबद्ध परियोजना को निष्पादित करने के लिए एक समय में अधिकतम एक वर्ष के अधीन एक

		अनुबंध अवधि के लिए पारस्परिक रूप से तय किए जा सकने वाले नियमों और शर्तों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति करने की शक्ति होगी।
परिवीक्षा	10.	सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। बशर्ते कि (a) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी तदनु रूप या किसी उच्च पद पर प्रतिनियुक्ति पर बिताई गई कोई भी अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी; (b) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति से पहले , समकक्ष या उच्च पद पर कार्य की कोई भी अवधि , स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के मामले में , नियुक्ति प्राधिकारी के निर्णय पर इस नियम के तहत निर्धारित परिवीक्षा की अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है; तथा (c) स्थानापन्न नियुक्ति की किसी भी अवधि को परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि के रूप में गिना जाएगा , लेकिन कोई भी व्यक्ति , जिसने इस प्रकार स्थानापन्न रूप से कार्य किया है , परिवीक्षा की निर्धारित अवधि के पूरा होने पर स्थायी होने का हकदार नहीं होगा , जब तक कि उसे स्थायी रिक्ति के खिलाफ नियुक्त नहीं किया जाता है। (1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं है, तो वह, (a) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जाता है , तो वह सेवाओं से मुक्त हो जायेगा; और (b) यदि ऐसे व्यक्ति को सीधी भर्ती के अलावा अन्यथा नियुक्त किया जाता है; (i) उसे उसके पूर्व पद पर लौटा दें; या (ii) उसके साथ पिछली नियुक्ति की अनुमति के नियम और शर्तों के तरीके से व्यवहार करें। (2) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर , नियुक्ति प्राधिकारी कर सकता है (a) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो। (i) ऐसे व्यक्ति को उसकी नियुक्ति की तारीख से स्थायी कर सकता है, यदि वह ऐसी स्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया गया हो; या (ii) ऐसे व्यक्ति को स्थायी रिक्ति होने की तिथि से , यदि वह अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो , स्थायी कर सकता

		है; या (iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति नहीं है, तो घोषित करें कि उसने अपनी परिवीक्षा संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; (b) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा हो। (i) उसकी सेवाओं से छुटकारा यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर वापस कर दिया जाए या उसके साथ अन्य तरीके से व्यवहार किया जाए, जैसा कि पिछली नियुक्ति के नियम और शर्तें अनुमति देती हैं; या (ii) उसकी परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो परिवीक्षा की पहली अवधि की समाप्ति पर पारित होता है: बशर्ते कि परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें एक्सटेंशन शामिल है, यदि कोई हो, तो तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
सेवा समाप्ति	11.	निगम के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की सेवाएं , जब तक अन्यथा विशेष रूप से सहमत न हों , नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकती हैं:- (i) स्थायी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के मामले में किसी भी पक्ष की ओर से तीन माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में नोटिस की अवधि तीन माह कम होने पर वेतन का भुगतान करके। (ii) अस्थायी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के मामले में किसी भी पक्ष की ओर से एक महीने का नोटिस देकर या , उसके एवज में , उस अवधि के लिए भुगतान करें जब नोटिस एक महीने से कम हो; और (iii) सरकार या किसी अन्य निगम से प्रतिनियुक्ति पर आए किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के मामले में उसे उसकी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित करके।
सेवा का रिकॉर्ड	12.	प्रत्येक अधिकारी और अन्य कर्मचारी की सेवा का निम्नलिखित अभिलेख रखा जाएगा:- (i) व्यक्तिगत फाइल (ii) सर्विस बुक और (iii) C.R. फाइल। <u>नोट :</u> संख्या (i) और (ii) पर फाइलें कार्यालय द्वारा रखी जाएंगी और संख्या (iii) पर फाइलें प्रबंध निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की हिरासत में रहेंगी ।

ज्येष्ठता	13. कर्मचारियों की संवर्ग-वार पारस्परिक वरिष्ठता उनके संबंधित संवर्ग में समान वेतनमान वाले पदों पर उनकी मौलिक नियुक्ति की तारीखों के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। बशर्ते कि सभी अनुसंधान एवं विकास संवर्गों यानी इलेक्ट्रॉनिक्स , सामान्य रखरखाव, मैकेनिकल, ड्राइंग सेक्शन (मैकेनिकल-1) , सीएनसी टूल कक्ष / सीएडी / सीएएम (मैकेनिकल-2) , ऑप्टिक्स और पीसीबी और इलेक्ट्रोप्लेटिंग (इलेक्ट्रोकेमिकल) के लिए उप महाप्रबंधक या समकक्ष और ऊपर के स्तर के पद पर पदोन्नति के लिए एक सामान्य वरिष्ठता सूची होगी। परन्तु यह है कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की दशा में वरिष्ठता निर्धारण में बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम को भंग नहीं किया जायेगा। परन्तु यह है कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नानुसार अवधारित की जायेगी:- - सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा; - पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा; - पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार उन नियुक्तियों में अवधारित की जायेगी जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे; और - विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में उनकी वरिष्ठता वेतन के अनुसार निर्धारित की जायेगी , वरीयता उस सदस्य को दी जायेगी जो अपनी पिछली नियुक्ति में उच्च दर पर वेतन प्राप्त कर रहा था और यदि प्राप्त वेतन की दरें भी समान हैं तो नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि ऐसा सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा। बशर्ते कि यदि किसी कर्मचारी का संवर्ग उसके अनुरोध पर परिवर्तित किया जाता है तो परिवर्तित संवर्ग के पद पर उसकी वरिष्ठता संवर्ग परिवर्तन की तिथि से निर्धारित की जायेगी तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निगम के हित में संवर्ग में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में कार्य करते हैं , तो कर्मचारी को अंतिम संवर्ग में पद पर अपनी वरिष्ठता नहीं खोनी चाहिए। बशर्ते कि किसी कर्मचारी का संवर्ग तभी बदला जाएगा जब वह बदले हुए संवर्ग में पद के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता और अनुभव को पूरा करता हो।
-------------------------	---

		सभी पदोन्नति, जब तक कि अन्यथा, “योग्यता-सह-वरिष्ठता” के आधार पर की जाएगी और अकेले वरिष्ठता ऐसी पदोन्नति के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति*	14.	निगम के प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे सिवाय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे।* बशर्ते कि जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा विधिवत प्रमाणित 70% या उससे अधिक की विकलांगता वाले शारीरिक रूप से विकलांग / विकलांग कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे।** बशर्ते कि दृष्टिहीन कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाए।*** * राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 34/1/200 4-4GSI दिनांक 26.11.2014 को आयोजित निदेशक मंडल की दिनांक 18.12.2014 को 138वीं बैठक में अपनाया गया। ** राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 34/1/2006-4 GSI दिनांक 26.11.2014 को आयोजित निदेशक मंडल की दिनांक 18.12.2014 को 138वीं बैठक में अपनाया गया। *** राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 34/1/ 95-4GSI दिनांक 26.11.2014 को आयोजित निदेशक मंडल की दिनांक 18.12.2014 को 138वीं बैठक में अपनाया गया।
ग्रेच्युटी	15.	निगम का प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने या त्यागपत्र देने पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक महीने के वेतन की दर से अधिकतम 20 महीने के वेतन के अधीन ग्रेच्युटी का हकदार होगा। वेतन की राशि संबंधित कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन होगी। बशर्ते कि यदि अधिकारी या अन्य कर्मचारी ने न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है तो कोई ग्रेच्युटी नहीं नहीं दी जाएगी।
अंशदायी भविष्य निधि	16.	निगम का प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और वर्तमान में लागू किसी भी कानून के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि की योजना की सदस्यता का हकदार होगा। बशर्ते कि 1 जनवरी, 2006 को या उसके बाद निगम में शामिल होने वाले कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना) के तहत आवरण किया जाएगा। * वित्त विभाग, हरियाणा (HBPE) के पत्र संख्या 30/3/2009/Acctt./HBPE(FD) दिनांक 18.03.2009 को आयोजित निदेशक मंडल की दिनांक 16.06.2010 को 119वीं बैठक में अपनाया गया।
दायित्व	17.	(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, सेवा का सदस्य हरियाणा राज्य के भीतर या बाहर किसी भी स्थान पर सेवा

		करने के लिए उत्तरदायी होगा। (2) सेवा के सदस्य को एक कंपनी, एक परियोजना, एक संघ या व्यक्तियों के एक निकाय के तहत सेवा देने के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है , चाहे वह निगमित हो या नहीं , जो निगम द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वामित्व या नियंत्रित है।
वेतन, छुट्टी और अन्य मामले	18.	(18.1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, पारिभाषिक शब्द:- (a) “वेतन” का अर्थ है समयमान में आहरित मासिक वेतन और इसमें व्यक्तिगत, विशेष, मंहगाई या प्रतिनियुक्ति वेतन शामिल है , लेकिन इसमें कोई भत्ता शामिल नहीं है। (b) “सैलरी” का अर्थ है समय-समय पर स्वीकार्य वेतन और मंहगाई भत्ता। (c) “अधिष्ठायी” वेतन का अर्थ मूल रूप से धारित समयमान में न्यूनतम या चरणीय वेतन है। (d) “व्यक्तिगत वेतन” का अर्थ किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को दिया गया अतिरिक्त वेतन है:- (i) अनुशासनात्मक पैमाना के अलावा अन्यथा वेतन में संशोधन या उसमें कटौती के कारण होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ;या (ii) असाधारण परिस्थितियों में, अन्य व्यक्तिगत विचार पर। (e) “विशेष वेतन” का अर्थ है निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए दिया गया अतिरिक्त वेतन:- (i) विशेष रूप से कठिन प्रकृति के कर्तव्यों के लिए; या (ii) एक विशिष्ट अतिरिक्त कार्य या जिम्मेदारी के लिए। (f) “पुरस्कार” का अर्थ निगम के एक अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की मान्यता में दी गई एक निश्चित राशि। (g) “भत्ते” में मंहगाई भत्ता , यात्रा भत्ता , प्रतिनियुक्ति भत्ता , वाहन भत्ता , सत्कार भत्ता , समयोपरि भत्ता , नगर प्रतिपूर्ति भत्ता , हाउस रेंट भत्ता या बोर्ड द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किसी अन्य प्रकार का भत्ता शामिल है। (18.2) निगम का एक अधिकारी या अन्य कर्मचारी नियुक्ति पर उस पद के न्यूनतम वेतनमान के लिए पात्र होगा जिस पर वह नियुक्त किया गया है। बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी विशेष ज्ञान , प्रशिक्षण या अनुभव को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति को उच्च प्रारंभिक शुरुआत की अनुमति दे सकता है। (18.3) निगम के सभी कर्मचारियों को हरियाणा सरकार की दरों पर मंहगाई और अन्य भत्ते तब तक देय होंगे जब तक निगम के निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निर्णय न लिया जाए।

	(18.4) नियुक्ति प्राधिकारी, निगम के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की असाधारण अच्छी सेवा की मान्यता में, उसे अनुदान दे सकता है:- (i) पुरस्कार प्रदान करने से ठीक पहले दो महीने के लिए ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के वेतन से अधिक नहीं होने का पुरस्कार। (ii) आहरित वेतन के अधिकतम 10% के अध्यधीन उसके पद के समयमान में वृद्धि या वृद्धियां , बशर्ते अधिकारियों के मामले में स्वीकृत पुरस्कारों में भुगतान से पहले बोर्ड से परामर्श किया जाएगा। बशर्ते कि बोर्ड किसी भी राशि का पुरस्कार दे सकता है या कितनी ही संख्या में वेतन वृद्धि प्रदान कर सकता है। (18.5) (a) निगम में प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारी या तो:- (i) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे वेतनमान में उनके वेतन के निर्धारण के अध्यधीन , निगम के अधीन पद का वेतनमान स्वीकार करना; या (ii) सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिनियुक्ति वेतन और सरकारी सेवा में उन्हें स्वीकार्य अन्य भत्तों के साथ अपनी मूल सेवा में अपने वेतनमान का आनंद लेना जारी रखा हो। <u>नोट:</u> निगम के साथ प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारी निगम में पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ या उसके बिना उच्च वेतनमान या उच्च स्तर पर वेतन निर्धारण के लाभों का दावा करने का हकदार होगा , यदि इस तरह के लाभ उसकी मूल सेवा में उसकी अपील या अभ्यावेदन के पक्ष में निर्णय के परिणामस्वरूप या अन्यथा , निश्चित रूप से अर्जित किए गए हो। (b) जहां किसी अन्य निगम के कर्मचारी को निगम के अधीन किसी पद पर नियुक्त किया जाता है , तो उसकी सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। (18.6) सरकार से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अपने सभी अधिकारियों या कर्मचारियों के संबंध में निगम समय-समय पर इस संबंध में लागू सरकार के नियमों के अनुसार छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान या सरकार को किसी अन्य दायित्व का भुगतान करेगा। (18.7) निगम के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा समय वेतनमान में वेतन वृद्धि स्वाभाविक रूप से आहरित की जा सकती है , जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलंबन , बिना वेतन या दंड के
--	--

	असाधारण अवकाश प्रदान करने के आधार पर इसे रोका या स्थगित नहीं किया जाता है। (18.8) किसी भी समय सीमा में दक्षता की सीमा को पार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति आवश्यक होगी। (18.9) एक महीने से अधिक की अवधि के लिए अपने स्वयं के कर्तव्यों के अतिरिक्त एक स्वतंत्र पद का प्रभार धारण करने वाले व्यक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मूल वेतन के 10% से अधिक नहीं की दर पर विशेष वेतन की अनुमति दी जा सकती है। (18.10) (a) कम भुगतान वाले पद के अलावा किसी पद पर सेवा के लिए असाधारण छुट्टी के अलावा छुट्टी , चाहे मूल या स्थानापन्न क्षमता में हो, और जिस पद पर कर्मचारी का ग्रहणाधिकार है , उस पद पर लागू समयमान के अलावा असाधारण छुट्टी के अलावा, और (b) यदि कोई कर्मचारी , मूल रूप से स्थायी पद धारण करते हुए या किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते हुए या समयमान वेतन पर अस्थायी पद धारण करते हुए , उच्च पद पर नियुक्त किया जाता है या उच्च अस्थायी पद धारण करने के लिए नियुक्त किया जाता है , तो उच्च पद पर उसकी स्थानापन्न या अस्थायी सेवाएं पद , यदि उसे निचले पद पर पुनर्नियुक्त किया जाता है या उसी समय के वेतनमान पर किसी पद पर नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जाता है , तो ऐसे निचले पद पर लागू समयमान में वृद्धि के लिए गणना की जाएगी। उच्च पद पर स्थानापन्न सेवा की अवधि , जो निम्न में वेतन वृद्धि के लिए गिना जाता है , हालांकि, उस अवधि तक सीमित है , जिसके दौरान कर्मचारी ने निचले पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य किया होता, लेकिन उच्च पद पर उसकी नियुक्ति नहीं होती। (18.11) वेतन निर्धारण के लिए , निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को सी.एस.आर. खंड-1, भाग-1 हरियाणा सरकार द्वारा यथासंशोधित के अंतर्गत प्रावधान द्वारा शासित किया जायेगा। (18.12) निगम के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को बोर्ड द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्ते प्राप्त होंगे। (18.13) बोर्ड किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा या निगम के लिए उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए मानदेय या प्रतिधारण शुल्क प्रदान कर सकता है। (18.14) निगम के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को देय धन या वेतन या भत्ते की कोई भी राशि जो अदावाकृत रह सकती है , उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए सस्पेंस खाते में स्थानांतरित और रखी
--	--

		जा सकती है , जिस पर भुगतान सामान्य रूप से देय होता है और इसके बाद उस राशि को निगम में व्ययगत माना जाएगा। (18.15) इन नियमों में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किए गए वेतन , छुट्टी और अन्य सभी मामलों के संबंध में , सेवा के सदस्यों को ऐसे नियमों और विनियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा अपनाए जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं।
चिकित्सा उपस्थिति	19.	निगम के अधिकारी (और कर्मचारी और उनके आश्रित परिवार के सदस्य) समय-समय पर बोर्ड /सरकार द्वारा अनुमोदित चिकित्सा उपचार के खर्च की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।
यात्रा भत्ता	20.	निगम के अधिकारी और अन्य कर्मचारी हरियाणा सरकार के T.A. नियमों द्वारा शासित होंगे , जब तक कि निगम के निदेशक मंडल द्वारा समय -समय पर तय नहीं किया जाता।
अनुशासन, दंड और अपील	21.	अनुशासन, दंड और अपील से संबंधित मामलों में , सेवा के सदस्य समय-समय पर संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम , 1987 द्वारा शासित होंगे। बशर्ते कि लगाई जाने वाली दंड की प्रकृति भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए किसी भी कानून या नियमों के प्रावधानों के अधीन होगी और अपीलीय प्राधिकारी को इस तरह की सजा देने के लिए अधिकृत किया गया है, जो परिशिष्ट - सी में निर्दिष्ट है। नियुक्ति प्राधिकारी के दंड के किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील , आदेश की तारीख की तारीख से छह माह के भीतर अध्यक्ष के पास होगी और ऐसी अपील पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।* बशर्ते कि एक संयुक्त अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। बशर्ते कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बोर्ड के अनुमोदन से जुर्माना लगाया गया हो , जिस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया गया हो , वह जुर्माना लगाने के आदेश की तारीख की तारीख से एक महीने के भीतर, बोर्ड के निर्णय में संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है। * निदेशक मंडल की दिनांक 08.03.2007 को आयोजित 106वीं बैठक में स्वीकृत।
टीकाकरण	22.	सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं को टीका लगवाएगा और जब भी सरकार किसी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा ऐसा निर्देश देगी , तब पुनः टीकाकरण करवाएगा।
निष्ठा की शपथ	23.	सेवा के प्रत्येक सदस्य को, जब तक कि उसने पहले ही ऐसा नहीं कर लिया है, कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने की आवश्यकता होगी।
शक्तियों में	24.	जब बोर्ड की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , तो वह

शिथिलता		लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से आदेश द्वारा किसी वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में, इन नियमों के किसी भी प्रावधान को शिथिल कर सकता है।
विशेष प्रावधान	25.	इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति के क्रम में विशेष निबंधन और शर्तें लगा सकता है यदि ऐसा करना समीचीन समझा जाए।
आरक्षण	26.	इन नियमों में निहित कुछ भी इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समय - समय पर आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, पूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या किसी अन्य वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी के लिए आवश्यक आरक्षण और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा। बशर्ते कि इस प्रकार किए गए आरक्षण का कुल प्रतिशत किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
सामान्य	27.	(a) एक अधिकारी या अन्य कर्मचारी का पूरा समय निगम के नियंत्रण में रहेगा। काम के घंटे इस तरह से तय किए जाएंगे, जैसा कि निगम के हित में निगम द्वारा उचित समझा जा सकता है। (b) कोई भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निगम के अलावा, बिना नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के, किसी अन्य व्यवसाय या रोजगार में संलग्न नहीं होगा और न ही वह किसी साझेदारी में प्रवेश करेगा, कोई शुल्क, बंदोबस्ती या कमीशन स्वीकार करेगा। (c) निगम का कोई भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी राजनीति में या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा या राज्य विधानमंडल या संसद या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए खड़ा नहीं होगा या ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा, जो निगम की शर्मिंदगी का कारण हो। (d) निगम नेकनीयती से और निगम के हित में किए गए कार्यों के संबंध में निगम के अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को अदालत या अन्य जगहों पर सुरक्षा प्रदान करेगा। (e) सभी कर्मचारियों को बाहरी संगठनों में नौकरियों के लिए आवेदन करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी, ऐसा करने में विफल रहने पर वे अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। (f) वेतनमानों का संशोधन, पदों का सृजन/उन्नयन:- निगम प्रशासनिक विभाग के माध्यम से ऐसे सभी मामलों को वित्त विभाग/एचबीपीई को विचारार्थ और अनुमोदन के लिए संदर्भित करेगा जिन्हें समय-समय पर जारी विशिष्ट निर्देशों के अनुसार अनिवार्य रूप से संदर्भित किया जाना आवश्यक है, जैसे वेतनमान में संशोधन, पदों का सृजन/उन्नयन, सेवा

		नियमों में संशोधन आदि के साथ-साथ निदेशक मंडल की सिफारिशें।* (g) बोर्ड द्वारा प्रस्ताव इन उपनियमों में निगम के प्रबंध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को अपनी कोई भी शक्ति प्रदान कर सकता है। प्रबंध निदेशक, बोर्ड के अनुमोदन से, निगम के किसी भी अधिकारी को उसकी कोई भी शक्ति प्रदान कर सकता है, जिसमें लिखित प्राधिकार द्वारा संचालित उसका प्रत्यायोजित अधिकार भी शामिल है। प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन किया जाएगा जैसा कि बोर्ड द्वारा संकल्प या प्राधिकरण में निर्धारित किया जा सकता है। * राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 40/2/2016/ Asstt./HBPE(FD) दिनांक 07.01.2016 को निदेशक मंडल की दिनांक 04.04.2016 को आयोजित 143वीं बैठक में अनुमोदित किया गया।
निरसन और बचत	28.	इनमें से किसी भी नियम के अनुरूप सेवा और बचत पर लागू होने वाला कोई भी नियम जो इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू होता है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है। बशर्ते कि इस तरह निरस्त किए गए नियमों के तहत किए गए किसी भी आदेश या इन नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत की गई कार्रवाई को माना या अपना लिया जाएगा। बोर्ड के पास समय समय पर इन नियमों में इस तरह के परिवर्धन-, विलोपन, परिवर्तन या संशोधन करने की शक्ति होगी, जैसा कि बोर्ड उचित समझे और इसमें निहित किसी भी प्रावधान को शिथिल कर सकता है। इन नियमों की व्याख्या करने की शक्ति निदेशक मंडल में निहित होगी जो प्रबंध निदेशक को इन नियमों को लागू करने के लिए प्रशासनिक निर्देश जारी करने और सहायक नियमों, शक्तियों के प्रतिनिधि मंडल, प्रक्रिया या रूपों के अधीन प्रभावी नियंत्रण सुरक्षित करने के लिए सशक्त होगा। इन नियमों को, बोर्ड द्वारा किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी कर्मचारी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने पर संशोधन किया जा सकेगा।
स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन (SETC)*	29.	राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक 42/164/2008-3 GSII दिनांक 22.09.2017 जारी की, जिसमें उसने निम्नलिखित निर्णय का पालन करने और SETC के लिए आवश्यक संशोधित निर्देश/नियम जारी करने का अनुरोध किया है:- - दिनांक 07.11.2013 के निर्देशानुसार लिपिक आदि पर एस.ई.टी.सी. सभी सरकारी विभागों में "लिपिक-सह-डाटा एन्ट्री आपरेटर", डाटा इंट्री आपरेटर और लिपिक-सह-टाइपिस्ट को बदलकर एक समान नाम "लिपिक" कर दिया गया और विभागों को निर्देश जारी होने के एक माह के भीतर, इस आशय के सेवा नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया गया। - उपर्युक्त निर्देश के अनुसार एसईटीसी से छूट उन व्यक्तियों को भी प्रदान की गई थी जिन्होंने पहले से ही कंप्यूटर में डिग्री हासिल कर ली थी या

		प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे NIELIT, HKCL, HARTRON या सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी से कंप्यूटर में कोर्स किया था। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिष्ठित संस्थानों (BCA/MCA/B.Tech/M.Tech. विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से कंप्यूटर में , सरकारी पॉलिटेक्निक , HKCL, HARTRON, DOEACC/NIELIT आदि से कंप्यूटर में डिप्लोमा) से पहले से ही कंप्यूटर योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के लिए ये छूट जारी रहेंगी और SETC छूट के लिए पात्र बने रहेंगे। 3. इस मामले पर विचार करते हुए , सरकार ने निर्णय लिया है कि लिपिक के समूह 'सी' पदों के लिए पात्र होने के लिए SETC (स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन) उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। 4. इसके अलावा , लिपिक के अलावा ग्रुप सी पदों के मामले में एसईटीसी लागू नहीं होगा। * राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 42/164/2008-3GSII दिनांक 22.09.2017 को निदेशक मंडल की दिनांक 30.10.2017 को आयोजित 150वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है।
रोकथाम और भ्रष्टाचार अधिनियम	और	30. संभागीय आयुक्त को रोकथाम और भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की धारा 17-ए के प्रावधानों के साथ-साथ पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के लिए समूह बी, सी, और डी के समकक्ष कर्मचारियों, सरपंच, पीआरआई के सदस्य और यूएलबी के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए एक करोड़ रुपये तक के भ्रष्टाचार के मामलों में 15 दिनों के भीतर आवश्यक स्वीकृति संभागीय आयुक्तों को भेजें। * राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 4/4/90-1Vig.II दिनांक 26.05.2022 को निदेशक मंडल की दिनांक 13.12.2022 को आयोजित 173वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है।

परिशिष्ट "A"

[नियम - 3 देखें]

**हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड,
चंडीगढ़**

क्रमांक	पदों का पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	पे बैंड और ग्रेड पे (रु.)
ए) संवर्ग:- प्रशासन			
1.	सहायक महाप्रबंधक	02	15600-39100 (PB-3) & 6600/- (FPL-11)
2.	कंपनी सचिव	01	
3.	वरिष्ठ प्रबंधक	01	9300-34800 (PB-2) & 5400/- (FPL-9)
4.	प्रबंधक**	01	9300-34800 (PB-2) & 4600/- (FPL-7)
5.	सहायक प्रचार-सह-संपर्क अधिकारी	06	9300-34800 (PB-2) & 3600/- (FPL-6)
6.	लाइब्रेरियन		
7.	अनुभाग अधिकारी		
8.	स्टोर - कीपर	09	9300-34800 (PB-2) & 3600/- (FPL-6)
9.	लाइब्रेरियन-कम-रिसेप्शनिस्ट		
10.	सहायक		
11.	जूनियर लाइब्रेरियन	05	5200-20200 (PB-1) & 2400/- (FPL-4)
12.	वरिष्ठ लिपिक		
13.	डुप्लिकेटिंग मशीन ऑपरेटर	01	5200-20200 (PB-1) & 1900/- (FPL-2)
14.	रिसेप्शनिस्ट-कम-पीबीएक्स ऑपरेटर	00	
15.	लिपिक/लिपिक-सह-टाइपिस्ट	03	
16.	हेल्पर	17	4440-7440 (-IS) & 1300/- (Denotes Level - DL)
17.	चपरासी / चौकीदार	23	
कुल		69	
बी) संवर्ग:- प्रशासन-1			
1.	निजी सचिव	01	9300-34800 (PB-2) & 4600/- (FPL-7)
2.	निजी सहायक	02	9300-34800 (PB-2) & 3600/- (FPL-6)
3.	सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर	02	9300-34800 (PB-2) & 3600/- (FPL-6)
4.	जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर	04	5200-20200 (PB-1) & 2400/- (FPL-4)

5.	स्टेनो-टाइपिस्ट	01	5200-20200 (PB-1) & 1900/- (FPL-2)
कुल		10	
ग) संवर्ग:- प्रशासन-2			
1.	चालक	10	5200-20200 (PB-1) & 2400/- (FPL-4)
2.	स्वीपर	07	4440-7440 (-IS) & 1300/- (Denotes Level-DL)
3.	माली	06	4440-7440 (-IS) & 1300/- (Denotes Level-DL)
कुल		23	
घ) संवर्ग:- लेखा			
1.	उप महाप्रबंधक	01	15600-39100 (PB-3) & 7600/- (FPL-12)
2.	सहायक महाप्रबंधक/ उप नियंत्रक	01	15600-39100 (PB-3) & 6600/- (FPL-11)
3.	वरिष्ठ प्रबंधक	02	9300-34800 (PB-2) & 5400/- (FPL-9)
4.	प्रबंधक	01	9300-34800 (PB-2) & 4600/- (FPL-7)
5.	अनुभाग अधिकारी	02	9300-34800 (PB-2) & 3600/- (FPL-6)
6.	लेखा सहायक/खजांची	13	9300-34800 (PB-2) & 3600/- (FPL-6)
7.	वरिष्ठ लेखा लिपिक	00	5200-20200 (PB-1) & 2400/- (FPL-4)
8.	लेखा लिपिक	01	5200-20200 (PB-1) & 1900/- (FPL-2)
कुल		21	
ई) संवर्ग:- कंप्यूटर			
1.	वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक	03	15600-39100 (PB-3) & 6600/- (FPL-11)
2.	प्रणाली विश्लेषक	06	9300-34800 (PB-2) & 5400/- (FPL-9)
3.	प्रोग्रामर	05	9300-34800 (PB-2) & 4600/- (FPL-7)
4.	सहायक प्रोग्रामर	02	9300-34800 (PB-2) & 3600/- (FPL-6)
5.	जूनियर प्रोग्रामर-कम-कंप्यूटर ऑपरेटर	12	9300-34800 (PB-2) & 3600/- (FPL-6)

6.	डाटा एंट्री ऑपरेटर	02	5200-20200 (PB-1) & 2400/- (FPL-4)
कुल		30	
एफ) संवर्ग:- अनुसंधान और विकास			
1.	परियोजना प्रबंधक/उप महाप्रबंधक*	04	15600-39100 (PB-3) & 7600/- (FPL-12)
2.	उप परियोजना प्रबंधक/ वरिष्ठ अभियंता	08	15600-39100 (PB-3) & 6600/- (FPL-11)
3.	उप अभियंता	22	9300-34800 (PB-2) & 5400/- (FPL-9)
4.	सहायक अभियंता	15	9300-34800 (PB-2) & 4600/- (FPL-7)
5.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक/ वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन	24	9300-34800 (PB-2) & 3600/- (FPL-6)
6.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक/ उकेरक/ ड्राफ्ट्समैन/ कनिष्ठ अभियंता	35	9300-34800 (PB-2) & 3600/- (FPL-6)
7.	वरिष्ठ तकनीशियन / पॉलिशर	40	5200-20200 (PB-1) & 2400/- (FPL-4)
8.	जूनियर तकनीशियन / कारपेंटर / मेसन	19	5200-20200 (PB-1) & 1900/- (FPL-2)
कुल		167	
जी) संवर्ग:- परियोजना और विपणन			
1.	उप महाप्रबंधक	01	15600-39100 (PB-3) & 7600/- (FPL-12)
2.	सहायक महाप्रबंधक	02	15600-39100 (PB-3) & 6600/- (FPL-11)
3.	वरिष्ठ तकनीकी प्रबंधक	03	9300-34800 (PB-2) & 5400/- (FPL-9)
4.	तकनीकी प्रबंधक	00	9300-34800 (PB-2) & 4600/- (FPL-7)
5.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	02	9300-34800 (PB-2) & 3600/- (FPL-6)
कुल		08	
कुल योग (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी)		328	

*निदेशक मंडल की दिनांक 05.12.2019 को आयोजित 161वीं बैठक में परियोजना प्रबंधक को उप महाप्रबंधक के रूप में पुनः पदनामित किया गया।

**निदेशक मंडल की दिनांक 23.12.2024 को आयोजित 180वीं बैठक में वरिष्ठ प्रबंधक के एक पद को प्रबंधक के पद के रूप में डाउनग्रेड किया गया है।

परिशिष्ट 'बी'

क्रमांक	पद का पदनाम और पे बैंड और ग्रेड पे	सीधी भर्ती के लिए योग्यता और अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के अलावा अन्य नियुक्ति के लिए योग्यता और अनुभव, यदि कोई हो	रिक्तियों को डायरेक्ट/पदोन्नति द्वारा भरा जाना
1.	2.	3.	4.	5.
संवर्ग:- कार्मिक और प्रशासन				
1.	चपरासी-सह-चौकीदार/चपरासी/हेल्पर/चपरासी-सह-रसोइया डेनोट्स स्तर (DL)	मैट्रिक।	--	100% डायरेक्ट
2.	डुप्लिकेटिंग / फोटोस्टेट मशीन ऑपरेटर कार्यात्मक वेतन स्तर-2 (FPL-2)	प्रमोशनल पोस्ट।	हेल्पर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
3.	लिपिक-कम-टाइपिस्ट डायरी-कम-डिस्पैच लिपिक/स्टोर लिपिक/रिसेप्शनिस्ट-कम-पीबीएक्स ऑपरेटर या समकक्ष कार्यात्मक वेतन स्तर-2 (FPL-2)	स्नातक (द्वितीय श्रेणी) टाइपराइटिंग में 40 शब्द प्रति मिनट गति के साथ दो वर्ष का अनुभव।	डेनोट्स स्तर (DL) में पांच वर्ष का अनुभव और टाइप-राइटिंग 40 w.p.m. गति में।	75% डायरेक्ट 25% पदोन्नति के माध्यम से
4.	वरिष्ठ लिपिक/सीनियर रिसेप्शनिस्ट-सह-पीबीएक्स ऑपरेटर या समकक्ष कार्यात्मक वेतन स्तर-4 (FPL-4)	प्रमोशनल पोस्ट।	कार्यात्मक वेतन स्तर-2 (FPL-2) में पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
5.	सहायक या समकक्ष कार्यात्मक वेतन स्तर-6 (FPL-6)	प्रमोशनल पोस्ट।	कार्यात्मक वेतन स्तर-4 (FPL-4) में पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
6.	अनुभाग अधिकारी या समकक्ष कार्यात्मक वेतन स्तर-6 (FPL-6)	प्रमोशनल पोस्ट।	सहायक या समकक्ष के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
7.	प्रबंधक या समकक्ष कार्यात्मक वेतन स्तर-7 (FPL-7)	प्रमोशनल पोस्ट।	अनुभाग अधिकारी या समकक्ष के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
8.	वरिष्ठ प्रबंधक या समकक्ष कार्यात्मक वेतन स्तर-9 (FPL-9)	प्रमोशनल पोस्ट।	कार्यात्मक वेतन स्तर-7 (FPL-7) में पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
9.	सहायक महाप्रबंधक कार्यात्मक वेतन स्तर-11 (FPL-11)	मानव संसाधन क्षेत्र में एमबीए के साथ कम से कम पांच वर्ष का अनुभव, जिसमें से दो वर्ष संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी पद का होना चाहिए (उम्मीदवार के पास वरिष्ठ प्रबंधक या उससे ऊपर के स्तर/रैंक पर काम करने का अनुभव होना चाहिए)।	वरिष्ठ प्रबंधक या समकक्ष के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।	25% डायरेक्ट 75% पदोन्नति के माध्यम से
10.	कंपनी सचिव कार्यात्मक वेतन स्तर-11 (FPL-11)	कंपनी सचिव के रूप में कम से कम तीन वर्ष के अनुभव के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का सदस्य होना चाहिए।	--	100% डायरेक्ट
11.	उप महाप्रबंधक या समकक्ष कार्यात्मक वेतन स्तर-12 (FPL-12)	संबंधित क्षेत्र में एमबीए या समकक्ष डिग्री के साथ कम से कम सात वर्ष का अनुभव, जिसमें से पांच वर्ष संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी पद का होना चाहिए।	सहायक महाप्रबंधक या समकक्ष/कंपनी सचिव के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।	50% डायरेक्ट 50% पदोन्नति के माध्यम से
12.	महाप्रबंधक या समकक्ष एचबीपीई द्वारा निर्दिष्ट नहीं	प्रमोशनल पोस्ट।	उप महाप्रबंधक या समकक्ष/कंपनी सचिव के रूप में	100% पदोन्नति के माध्यम से

			न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	
13.	मुख्य महाप्रबंधक एचबीपीई द्वारा निर्दिष्ट नहीं	प्रमोशनल पोस्ट।	महाप्रबंधक या समकक्ष /कंपनी सचिव के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से

संवर्ग:- कार्मिक और प्रशासन-I

1.	स्टेनो टाइपिस्ट कार्यात्मक वेतन स्तर-2 (FPL-2)	आशुलिपि और टंकण में 80/40 W.P.M गति के साथ स्नातक तथा कंप्यूटर के उपयोग में प्रवीणता होनी चाहिए।	डेनोट्स स्तर (DL) में पांच वर्ष का अनुभव और आशुलिपि और टंकण में 80/40 W.P.M गति हो।	25% डायरेक्ट 75% पदोन्नति के माध्यम से
2.	जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर कार्यात्मक वेतन स्तर-4 (FPL-4)	प्रमोशनल पोस्ट।	स्टेनो टाइपिस्ट के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
3.	सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर कार्यात्मक वेतन स्तर-6 (FPL-6)	आशुलिपि और टंकण में 100/40 W.P.M गति के साथ स्नातक (द्वितीय श्रेणी) क्रमशः पांच वर्ष के संबंधित अनुभव के साथ तथा कंप्यूटर के उपयोग में प्रवीणता होनी चाहिए।	जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।	25% डायरेक्ट 75% पदोन्नति के माध्यम से
4.	निजी सहायक कार्यात्मक वेतन स्तर-6 (FPL-6)	प्रमोशनल पोस्ट।	सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
5.	निजी सचिव कार्यात्मक वेतन स्तर-7 (FPL-7)	प्रमोशनल पोस्ट।	निजी सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से

संवर्ग:- कार्मिक और प्रशासन- II

1.	स्वीपर डेनोट्स स्तर (DL)	दो वर्ष के अनुभव के साथ साक्षर।	--	100% डायरेक्ट
2.	माली डेनोट्स स्तर (DL)	दो वर्ष के अनुभव के साथ बागवानी के ज्ञान के साथ साक्षर।	--	100% डायरेक्ट
3.	चालक कार्यात्मक वेतन स्तर-4 (FPL-4)	चार वर्ष के अनुभव के साथ ड्राइविंग के लिए वैध लाइसेंस के साथ साक्षर।	--	100% डायरेक्ट

संवर्ग:- वित्त और लेखा

1.	लेखा लिपिक कार्यात्मक वेतन स्तर-2 (FPL-2)	एक वर्ष के अनुभव के साथ प्रथम श्रेणी बी.कॉम।	--	100% डायरेक्ट
2.	वरिष्ठ लेखा लिपिक कार्यात्मक वेतन स्तर-4 (FPL-4)	प्रमोशनल पोस्ट।	लेखा लिपिक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
3.	लेखा सहायक/खजांची कार्यात्मक वेतन स्तर-6 (FPL-6)	एक वर्ष के अनुभव के साथ प्रथम श्रेणी एम.कॉम।	वरिष्ठ लेखा लिपिक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	50% डायरेक्ट 50% पदोन्नति के माध्यम से
4.	अनुभाग अधिकारी (लेखा) कार्यात्मक वेतन स्तर-6 (FPL-6)	प्रमोशनल पोस्ट।	लेखा सहायक/खजांची के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
5.	प्रबंधक या समकक्ष कार्यात्मक वेतन स्तर-7 (FPL-7)	संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव रखने वाला चार्टर्ड एकाउंटेंट।	अनुभाग अधिकारी के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	50% डायरेक्ट 50% पदोन्नति के माध्यम से
6.	वरिष्ठ प्रबंधक या समकक्ष कार्यात्मक वेतन स्तर-9 (FPL-9)	प्रमोशनल पोस्ट।	प्रबंधक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
7.	सहायक महाप्रबंधक या समकक्ष कार्यात्मक वेतन स्तर-11 (FPL-11)	प्रासंगिक क्षेत्र यानी लेखा (अकाउंट्स) में कार्यकारी पद पर 5 साल के अनुभव के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट (उम्मीदवार के पास वरिष्ठ प्रबंधक या उससे ऊपर के स्तर/रैंक पर काम	वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	25% डायरेक्ट 75% पदोन्नति के माध्यम से

		करने का अनुभव होना चाहिए)।		
8.	उप महाप्रबंधक या समकक्ष कार्यात्मक वेतन स्तर-12 (FPL-12)	चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ सात वर्ष का अनुभव, जिसमें से संबंधित क्षेत्र यानी लेखा (अकाउंट्स) में कार्यकारी पद पर कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए (उम्मीदवार के पास सहायक महाप्रबंधक या उससे ऊपर के स्तर/रैंक पर काम करने का अनुभव)।	सहायक महाप्रबंधक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	50% डायरेक्ट 50% पदोन्नति के माध्यम से
9.	महाप्रबंधक या समकक्ष एचबीपीई द्वारा निर्दिष्ट नहीं	प्रमोशनल पोस्ट।	उप महाप्रबंधक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
10.	मुख्य महाप्रबंधक एचबीपीई द्वारा निर्दिष्ट नहीं	प्रमोशनल पोस्ट।	महाप्रबंधक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से

संवर्ग:- कंप्यूटर

1.	डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यात्मक वेतन स्तर-4 (FPL-4)	डाटा एंट्री कोर्स के साथ स्नातक।	संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव।	100% डायरेक्ट
2.	जूनियर प्रोग्रामर-कम-कंप्यूटर ऑपरेटर कार्यात्मक वेतन स्तर-6 (FPL-6)	प्रथम श्रेणी में स्नातक के साथ एक वर्षीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में पी.जी. डिप्लोमा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या समकक्ष डीओई मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम या प्रथम श्रेणी में बीएससी (कंप्यूटर साइंस)।	डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	50% डायरेक्ट 50% पदोन्नति के माध्यम से
3.	सहायक प्रोग्रामर कार्यात्मक वेतन स्तर-6 (FPL-6)	प्रमोशनल पोस्ट।	जूनियर प्रोग्रामर के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
4.	प्रोग्रामर या समकक्ष कार्यात्मक वेतन स्तर-7 (FPL-7)	प्रथम श्रेणी कंप्यूटर साइंस में बीई / बीटेक/ एमसीए के साथ संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।	सहायक प्रोग्रामर के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	50% डायरेक्ट 50% पदोन्नति के माध्यम से
5.	प्रणाली विश्लेषक या समकक्ष कार्यात्मक वेतन स्तर-9 (FPL-9)	प्रमोशनल पोस्ट।	प्रोग्रामर के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
6.	वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक या समकक्ष कार्यात्मक वेतन स्तर-11 (FPL-11)	प्रथम श्रेणी कंप्यूटर साइंस में बीई / बीटेक/ एमसीए के साथ संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी पद का पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।	प्रणाली विश्लेषक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	25% डायरेक्ट 75% पदोन्नति के माध्यम से
7.	उप महाप्रबंधक या समकक्ष कार्यात्मक वेतन स्तर-12 (FPL-12)	प्रथम श्रेणी कंप्यूटर साइंस में बी.ई./बी.टेक. /एमसीए के साथ कार्यकारी पद पर पांच वर्ष का संबंधित क्षेत्र यानी कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में अनुभव हो (उम्मीदवार के पास सिस्टम विश्लेषक या उससे ऊपर के स्तर/रैंक पर काम करने का अनुभव होना चाहिए)।	वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	50% डायरेक्ट 50% पदोन्नति के माध्यम से
8.	महाप्रबंधक या समकक्ष एचबीपीई द्वारा निर्दिष्ट नहीं	प्रमोशनल पोस्ट।	उप महाप्रबंधक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
9.	मुख्य महाप्रबंधक एचबीपीई द्वारा निर्दिष्ट नहीं	प्रमोशनल पोस्ट।	महाप्रबंधक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से

संवर्ग:- अनुसंधान एवं विकास केंद्र				
1.	उप महाप्रबंधक या समकक्ष कार्यात्मक वेतन स्तर-12 (FPL-12)	संबंधित क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रॉनिक्स , प्रथम श्रेणी में बीई /बीटेक के साथ सात वर्ष का अनुभव , जिसमें से संबंधित क्षेत्र यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में कार्यकारी पद में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो (उम्मीदवार के पास सहायक महाप्रबंधक या उससे ऊपर के स्तर/रैंक पर काम करने का अनुभव होना चाहिए)।	न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव सहायक महाप्रबंधक।	50% डायरेक्ट 50% पदोन्नति के माध्यम से
2.	महाप्रबंधक या समकक्ष एचबीपीई द्वारा निर्दिष्ट नहीं	प्रमोशनल पोस्ट।	उप महाप्रबंधक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
3.	मुख्य महाप्रबंधक एचबीपीई द्वारा निर्दिष्ट नहीं	प्रमोशनल पोस्ट।	महाप्रबंधक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
(ए) इलेक्ट्रॉनिक्स				
1.	जूनियर तकनीशियन कार्यात्मक वेतन स्तर-2 (FPL-2)	प्रमोशनल पोस्ट।	हेल्पर के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
2.	वरिष्ठ तकनीशियन कार्यात्मक वेतन स्तर-4 (FPL-4)	प्रमोशनल पोस्ट।	जूनियर तकनीशियन के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
3.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक कार्यात्मक वेतन स्तर-6 (FPL-6)	प्रथम श्रेणी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा/एम.एससी के साथ संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव।	वरिष्ठ तकनीशियन के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	50% डायरेक्ट 50% पदोन्नति के माध्यम से
4.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक कार्यात्मक वेतन स्तर-6 (FPL-6)	प्रमोशनल पोस्ट।	कनिष्ठ तकनीकी सहायक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
5.	तकनीकी प्रबंधक या समकक्ष कार्यात्मक वेतन स्तर-7 (FPL-7)	प्रथम श्रेणी इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई/ बीटेक के साथ संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।	वरिष्ठ तकनीकी सहायक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	50% डायरेक्ट 50% पदोन्नति के माध्यम से
6.	वरिष्ठ तकनीकी प्रबंधक या समकक्ष कार्यात्मक वेतन स्तर-9 (FPL-9)	प्रमोशनल पोस्ट।	तकनीकी प्रबंधक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
7.	सहायक महाप्रबंधक या समकक्ष कार्यात्मक वेतन स्तर-11 (FPL-11)	प्रथम श्रेणी इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई/ बीटेक के साथ संबंधित क्षेत्र यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में कार्यकारी पद का पांच वर्ष का अनुभव (उम्मीदवार के पास उप अभियंता/वरिष्ठ तकनीकी प्रबंधक या उससे ऊपर के स्तर/रैंक पर काम करने का अनुभव होना चाहिए)।	वरिष्ठ तकनीकी प्रबंधक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	25% डायरेक्ट 75% पदोन्नति के माध्यम से
(बी) सामान्य रखरखाव				
1.	जूनियर तकनीशियन कार्यात्मक वेतन स्तर-2 (FPL-2)	प्रमोशनल पोस्ट।	हेल्पर के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
2.	वरिष्ठ तकनीशियन कार्यात्मक वेतन स्तर-4 (FPL-4)	प्रमोशनल पोस्ट।	जूनियर तकनीशियन के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
3.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक कार्यात्मक वेतन स्तर -6 (FPL-6)	प्रथम श्रेणी सिविल/ मैकेनिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा या संबंधित क्षेत्र/एम.एससी के साथ संबंधित क्षेत्र	वरिष्ठ तकनीशियन के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	50% डायरेक्ट 50% पदोन्नति के माध्यम से

7.	सहायक महाप्रबंधक या समकक्ष कार्यात्मक वेतन स्तर-11 (FPL-11)	प्रमोशनल पोस्ट।	वरिष्ठ तकनीकी प्रबंधक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
----	---	-----------------	--	----------------------------

संवर्ग:- परियोजना और विपणन

1.	जूनियर तकनीशियन कार्यात्मक वेतन स्तर-2 (FPL-2)	प्रमोशनल पोस्ट।	हेल्पर के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
2.	वरिष्ठ तकनीशियन कार्यात्मक वेतन स्तर-4 (FPL-4)	प्रमोशनल पोस्ट।	जूनियर तकनीशियन के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
3.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक कार्यात्मक वेतन स्तर-6 (FPL-6)	प्रथम श्रेणी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा/एम.एससी के साथ संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव।	वरिष्ठ तकनीशियन के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	50% डायरेक्ट 50% पदोन्नति के माध्यम से
4.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक कार्यात्मक वेतन स्तर-6 (FPL-6)	प्रमोशनल पोस्ट।	कनिष्ठ तकनीकी सहायक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
5.	तकनीकी प्रबंधक या समकक्ष कार्यात्मक वेतन स्तर-7 (FPL-7)	प्रथम श्रेणी इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई/बीटेक के साथ संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।	वरिष्ठ तकनीकी सहायक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	50% डायरेक्ट 50% पदोन्नति के माध्यम से
6.	वरिष्ठ तकनीकी प्रबंधक या समकक्ष कार्यात्मक वेतन स्तर-9 (FPL-9)	प्रमोशनल पोस्ट।	तकनीकी प्रबंधक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
7.	सहायक महाप्रबंधक या समकक्ष कार्यात्मक वेतन स्तर-11 (FPL-11)	प्रथम श्रेणी इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई/बीटेक के साथ संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी पद का पांच वर्ष का अनुभव।	वरिष्ठ तकनीकी प्रबंधक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	25% डायरेक्ट 75% पदोन्नति के माध्यम से
8.	उप महाप्रबंधक या समकक्ष कार्यात्मक वेतन स्तर-12 (FPL-12)	प्रथम श्रेणी इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई / बीटेक के साथ सात वर्ष का अनुभव, जिसमें से संबंधित क्षेत्र में कार्यकारी पद में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो।	सहायक महाप्रबंधक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	50% डायरेक्ट 50% पदोन्नति के माध्यम से
9.	महाप्रबंधक या समकक्ष एचबीपीई द्वारा निर्दिष्ट नहीं	प्रमोशनल पोस्ट।	उप महाप्रबंधक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से
10.	मुख्य महाप्रबंधक एचबीपीई द्वारा निर्दिष्ट नहीं	प्रमोशनल पोस्ट।	महाप्रबंधक के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।	100% पदोन्नति के माध्यम से

नोट:- 1. निगम में उपरोक्त सभी पदों (परिशिष्ट-बी में उल्लिखित) पर सीधी भर्ती के लिए मैट्रिक स्तर या उच्च शिक्षा तक हिंदी/संस्कृत अनिवार्य है।*

2. परिशिष्ट-बी में उल्लिखित सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन), सहायक महाप्रबंधक (लेखा), उप महाप्रबंधक (लेखा), उप महाप्रबंधक(आर एंड डी), सहायक महाप्रबंधक (इलेक्ट्रॉनिक्स) और वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक (कंप्यूटर) पद की योग्यता में संशोधन किया गया है।**

* राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 62/30/2006-6GSI दिनांक 24.08.2009 को निदेशक मंडल की दिनांक 13.12.2022 को आयोजित 173वीं बैठक में अनुमोदित किया गया।

** निदेशक मंडल की दिनांक 06.12.2023 को आयोजित 176वीं बैठक में उपलिखित संशोधन को अपनाया गया है।

परिशिष्ट 'सी'

क्रमांक	पद प्राधिकारी का पदनाम अपील	नियुक्ति प्राधिकारी	दंड की प्रकृति	प्राधिकारी जिसको दंड देने का अधिकार	अपीलीय प्राधिकरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
छोटी शास्तियाँ					
1.	सभी पद	प्रबंध संचालक	(i) व्यक्तिगत फ़ाइल में प्रति रखते हुए चेतावनी (चरित्र रोल); (ii) परिनिन्दा; (iii) पदोन्नति पर रोक; (iv) निगम या किसी कंपनी और संस्था या व्यक्तियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, को जो पूर्ण रूप से या सारभूत रूप से निगम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन की उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन के कारण होने वाली किसी भी आर्थिक हानि की पूरी या इसके भाग की, वेतन से वसूली; तथा (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धि (वेतन वृद्धियाँ) रोकना।	प्रबंध संचालक	बोर्ड
बड़ी शास्तियाँ					
2.	सभी पद	प्रबंध संचालक	(i) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि (वेतन वृद्धियाँ) रोकना; (ii) एक निर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन समयमान के निचले चरण में कटौती, आगे के निर्देशों के साथ कि क्या निगम कर्मचारी इस तरह की कमी की अवधि के दौरान वेतन वृद्धि अर्जित करेगा या नहीं और क्या, ऐसी अवधि की समाप्ति पर, कटौती का उसके वेतन की भविष्य की वेतनवृद्धियों को स्थगित करने का प्रभाव होगा या नहीं होगा; (iii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा में अवनति, जो आमतौर पर निगम के कर्मचारियों के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा में पदोन्नति के लिए एक बाधा होगी, जिससे उन्हें कम किया गया था, जिस ग्रेड या पद या सेवा से निगम के कर्मचारी को कम किया गया था, उस ग्रेड, पद या सेवा पर बहाली की शर्तों और उसकी वरिष्ठता और उस ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी बहाली पर वेतन के संबंध में आगे के निर्देश के साथ या बिना;	प्रबंध संचालक	बोर्ड

			(iv) अनिवार्य सेवानिवृत्ति; (v) सेवा से हटाना, जो भविष्य में निगम में रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी; और (vi) सेवा से बर्खास्तगी, जो आमतौर पर भविष्य में निगम में रोजगार के लिए अयोग्यता होगी।		
--	--	--	---	--	--